भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1317

(जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)

भारतीय शेयर बाजारों से एफपीआई की निकासी

†1317. श्री राकेश राठौर:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश वापस लिए जाने का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के निवेश वापस लिए जाने के कारणों और शेयर बाजार, भारतीय रुपए की विनिमय दर, निवेशकों के विश्वास तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि विदेशी निवेश की निरंतर वापसी के परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेशी निवेशकों के विश्वास को बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय पूंजी बाजार स्थिर और आकर्षक बना रहे, सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): पिछले 10 वर्षों के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के प्रवाह और बहिर्वाह का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	**भारतीय रूपया करोड़ में**		
	सकल क्रय	**सकल विक्रय**	**निवल निवेश**
2015 - 16	13,24,417.54	13,42,593.00	-18,175.30
2016 - 17	15,07,027.70	14,58,617.00	48,411.03
2017 - 18	17,28,360.00	15,83,679.00	1,44,680.80
2018 - 19	16,40,810.00	16,79,741.00	-38,931.10

वित्तीय वर्ष	भारतीय रूपया करोड़ में		
	सकल क्रय	सकल विक्रय	निवल निवेश
2019 - 20	19,05,517.03	19,33,046.14	-27,529.12
2020 - 21	23,20,288.77	20,53,189.10	2,67,099.66
2021 - 22	23,87,375.71	25,09,615.83	-1,22,240.13
2022 - 23	23,42,193.53	23,83,130.48	-40,936.95
2023 - 24	36,17,496.63	32,78,432.06	3,39,064.57
2024 - 25	49,16,814.46	48,96,794.80	20,019.66
2025 - 26	44,64,817.84	46,17,508.88	-1,52,691.04

स्रोत: एनएसडीएल

(ग) और (घ): भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई निवल निवेश में बदलाव घरेलू और वैश्विक कारकों जैसे भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार शुल्क से संबंधित की अनिश्चितताओं, वैश्विक निवेशकों की अवधारणा, मुद्रा निस्सरण और उभरते बाजारों में वैश्विक निधियों द्वारा पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन के साथ होने से प्रेरित है। भारतीय इक्विटी से हाल ही में विदेशी पोर्टफोलियो का बहिर्वाह उभरते बाजारों में देखे गए व्यापक स्वरूप (*पैटर्न*) का हिस्सा है और यह पूरी तरह से भारत के लिए विशिष्ट नहीं है।

एफपीआई के बहिर्वाह के बावजूद, समग्र निवेशक अवधारणा बरकरार है, जैसा कि सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई), विशेष रूप से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग से पता चलता है। एफपीआई ने भी पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारतीय शेयर बाजार में विश्वास दिखाया है। एफपीआई द्वारा सकल क्रय वित्त वर्ष 2021-22 में 23,87,375.71 करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2025-26 में 44,64,817.84 करोड़ रुपये हो गया है।

सरकार विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित प्रमुख आर्थिक मापदंडों की प्रवृत्ति पर बारीकी से नजर रखती है। इसके अलावा, विभिन्न घरेलू और वैश्विक कारक भारतीय रुपये की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें डॉलर सूचकांक में उतार-चढ़ाव, पूंजी प्रवाह की प्रवृत्ति, ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमतें और चालू खाता घाटा शामिल है। वर्तमान में, भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक बुनियादी तत्व मजबूत बने हुए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक जीडीपी में लगातार 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सुदृढ़ घरेलू मांग, बेहतर तुलन-पत्र और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन द्वारा आर्थिक विकास को सहायता दी जा रही है। वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतक भी

आर्थिक गतिविधि और घरेलू मांग में निरंतर गति का संकेत दे रही हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के निरंतर लचीलेपन को दर्शाता है।

(ङ) और (च): खुदरा निवेशक की भागीदारी विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें सामान्य बाजार अवधारणा, भू-राजनीतिक स्थिति, मौजूदा आर्थिक स्थितियां और जोखिम और प्रतिलाभ (रिवार्ड) के बारे में निवेशक की धारणा शामिल है। खुदरा/छोटे निवेशकों की लाभ या हानि उनके निवेश प्रोफाइल के आधार पर हर निवेशक के लिए भिन्न होती है। विदेशी निवेशकों के विश्वास को और बढ़ाने के लिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं -

i. वैयक्तिक पीआरओआई (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति) को एफपीआई पंजीकरण के बगैर पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी हिस्सों/शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी गई है।

ii. शेयर बाजारों पर सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा सभी वैयक्तिक पीआरओआई (एनआरआई और ओसीआई सहित) के लिए 5% से बढ़ाकर 10% और संचयी रूप से 10% से 24% कर दी गई है।

iii. समीक्षा के आधार पर, जनरल रूट के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश पर लागू वृहत विवेकसम्यक (मैक्रो-प्रूडेंशियल) नियंत्रण, अल्पकालिक सीमा, और संकेंद्रण सीमा को 8 मई, 2025 से वापस ले लिया गया था।

iv. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वोलंटरी रिटेंशन रूट) के तहत निवेश सीमाओं की उपलब्धता के बारे में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने और व्यापारिक सुगम्य को और बढ़ाने के लिए, 01 अप्रैल, 2026 से जनरल रूट के लिए संबंधित निवेश सीमा के तहत टी-बिल, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में वीआरआर निवेश पर विचार करने का निर्णय लिया गया और न्यूनतम प्रतिधारण अवधि की समाप्ति के बाद अपने पोर्टफोलियो को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उन एफपीआई को अनुमति देने के लिए जिन्होंने वीआरआर के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिधारण अवधि से अधिक समय तक प्रतिधारण अवधि का लाभ उठाया है।

v. सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 जून, 2026 से एफपीआई निवेश फ्रेमवर्क को और सरल बनाया गया है। फुली ऐस्सेबल रूट (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के विस्तार को 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि में सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गमों को शामिल करने और 5, 7, 10, 15, 30 और 40 वर्षों की एफएआर-पात्र अवधि में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के सभी नए निर्गमों को शामिल करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, एफपीआई के लिए जनरल रुट के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए अल्पकालिक निवेश सीमा, प्रतिभूति (सिक्योरिटी) सीमा और संकेंद्रण सीमा का अनुपालन करने की आवश्यकता को वापस ले लिया गया। निवेश सीमा की अलग-अलग उप-श्रेणियों, अर्थात् 'सामान्य' और 'दीर्घकालिक' को भी केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए एकल निवेश सीमा में मिला दिया गया था।

vi. प्रचालन दक्षता में सुधार और वित्त पोषण की लागत को कम करने के लिए नकदी बाजार में एफपीआई द्वारा किए गए लेनदेन के लिए निधियों के निर्धारण की अनुमति दी गई है।

vii. निष्पक्ष रूप से पहचाने गए और सत्यापन योग्य रूप से कम जोखिम वाले एफपीआई के लिए "विश्वसनीय विदेशी निवेशकों के लिए एकल विंडो स्वचालित और सामान्यीकृत पहुंच (स्वागत-एफआई)" फ्रेमवर्क पेश किया गया है।

viii. सेबी (एफपीआई) विनियम, 2019 में संशोधन किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ भारत में आईएफएससीए में स्थित एफपीआई को लचीलापन प्रदान किया जा सके और आईएफएससीए द्वारा विनियमित किया जा सके।

ix. एफपीआई के लिए विनियामक और प्रक्रियात्मक सूचना के सुव्यवस्थित और समेकित स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए एक पोर्टल- 'इंडिया मार्केट एक्सेस' (www.indiamarketaccess.in) विकसित किया गया है।

x. जोखिम-आधारित दृष्टिकोण और इष्टतम विनियमन के माध्यम से व्यापारिक सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में निवेश करने वाले एफपीआई को ऑनबोर्डिंग और चल रहे अनुपालन से कुछ छूट दी गई है।

xi. प्रचालन दक्षता बढ़ाने और एफपीआई द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देने के लिए, सेबी ने एफपीआई के लिए बिक्री आय की उपलब्धता में तेजी लाने के उपाय शुरू किए हैं।

xii. सेबी ने एफपीआई के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर ध्यान देने के साथ एक समर्पित एफपीआई आउटरीच सेल की स्थापना की है।
